भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - II) पर

प्रेस विज्ञप्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन [रिपोर्ट संख्या 03/2025 (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-II)] मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों के विभागों (योजना, वित्त और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभागों को छोड़कर) के निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रतिवेदन 12.11.2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था। प्रतिवेदन _____ को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखा गया है।

इस प्रतिवेदन में श्रम एवं रोजगार विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामले सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा, तीन विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं एवं चार स्वतंत्र अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

श्रम एवं रोजगार विभाग (हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में सबसे कमज़ोर वर्ग है, जहां कर्मकारों को जीवन और अंगो के लिए अंतर्निहित जोखिम, रोजगार की अनिश्चित प्रकृति, अनिश्चित कार्य-घंटे और अपर्याप्त कल्याण सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का

विनियमन) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए निर्माण लागत पर उपकर की स्थापना की। हिमाचल प्रदेश ने इसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 लागू किया तथा 2009 में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की स्थापना हुई।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की पांच वर्ष की अवधि को सम्मिलित किया गया। हालांकि लेखापरीक्षा अवधि के अतिरिक्त भी जहां नियमों में असंगतता एवं अद्यतन डेटा की उपलब्धता देखी गई, उसे भी आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

विवाह के लिए वित्तीय सहायता पर बनाए गए नियम में स्पष्टता का अभाव था क्योंकि यह निर्दिष्ट करने में विफल रहा कि कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं और परिवार से कौन सहायता का दावा करने के लिए पात्र है। इससे ऐसी स्थितियाँ पैदा हुईं जहाँ एक ही विवाह हेतु सहायता राशि परिवार के एक से ज़्यादा सदस्यों को मिली। साथ ही स्वास्थ्य जांच ढांचे में बोर्ड द्वारा निगरानी एवं रिकॉर्ड रखने में कमी थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बनाई की गई आदर्श कल्याण योजना के तहत अनुशंसित 10 वर्ष की न्यूनतम पंजीकरण अवधि को बोर्ड द्वारा नहीं अपनाया गया। उसने पेंशन की दीर्घकालिक देयता का आकलन किए बिना तीन वर्ष की न्यूनतम पंजीकरण अवधि को अपनाया।

राज्य सरकार ने राज्य की सन्निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। स्थापनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में नियोक्ताओं से प्रारंभ/समापन सूचना प्राप्त न करने, पंजीकरण में विलम्ब एवं पात्र स्थापनों का पंजीकरण न होने जैसी समस्याएं देखी गईं। कर्मकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि नियोक्ताओं से मासिक रिटर्न प्राप्त न करना, पात्र कर्मकारों का पंजीकरण न होना, दोहरा/तिहरा पंजीकरण, फर्जी पंजीकरण एवं कर्मकारों के दस्तावेज प्राप्त किए बिना पंजीकरण करने के मुद्दे पाए गए।

साथ ही शिविरों के आयोजन व कर्मकारों के पंजीकरण में कमी थी तथा नियोक्ता द्वारा कार्य की अवधि की वैधता सुनिश्चित करने के लिए किए गए कार्य का विवरण कर्मकारों के पहचान-पत्रों में प्रविष्ट करना सुनिश्चित नहीं किया गया। बोर्ड व श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों के पंजीकृत कर्मकारों तथा आयोजित शिविरों के आंकड़ों में मिलान न होना निष्प्रभावी रिपोर्टिंग तंत्र को परिलक्षित करता है।

निर्धारण अधिकारी-सह-श्रम अधिकारी सभी नियोक्ताओं से उपकर नियमों के अनुसार फॉर्म-I प्राप्त करने में विफल रहे एवं ₹ 12.91 लाख की राशि के मात्र छः निर्धारण आदेश जारी किए गए, जबकि वर्ष 2017-22 के दौरान ₹ 407.61 करोड़ की उपकर राशि बिना किसी निर्धारण के जमा कर दी गई। बोर्ड

ने स्वीकृत भवन योजनाओं व सन्निर्माण परियोजनाओं की जानकारी साझा करने के लिए स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित नहीं किया। इसके अतिरिक्त संग्रहित उपकर का स्थापन-वार डेटा अनुरक्षित नहीं किया तथा उपकर का मिलान न करने के कारण बोर्ड एवं श्रम अधिकारियों के उपकर आंकड़ों में ₹ 226.52 करोड़ का अंतर आया। बोर्ड या विभाग ने उपकर राशि को निधि में हस्तांतरित करने के लिए एक समान प्रारूप उपलब्ध नहीं कराया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 112.39 करोड़ का उपकर उचंत लेखा में रखा गया, ₹ 13.24 करोड़ श्रम अधिकारी के क्षेत्राधिकार की जानकारी के बिना निधि में जमा कर दिए गए तथा संग्रहण शुल्क सरकारी कोषागार में जमा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अस्वीकृत चेक/बैंक ड्राफ्ट का समय पर त्रुटिसुधार/पुनर्वैध नहीं किए जाने के कारण ₹ 4.20 करोड़ के उपकर की कम वसूली तथा ₹ 8.26 लाख के उपकर का प्रेषण न करने के दृष्टांत सामने आए।

नमूना-जांचित श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों के कार्यालयों ने उन स्थलों का निरीक्षण नहीं किया जहाँ दुर्घटनाएँ पहले या बाद में हुई थीं और दुर्घटनाओं के बाद जाँच/पूछताछ नहीं की गयी। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह भी पाया गया कि निर्माण-स्थलों पर अनिवार्य सुरक्षा उपायों का अभाव था, जिनमें प्राथमिक चिकित्सा किट, सुरक्षा उपकरण, स्थल पर अग्नि सुरक्षा उपकरण तथा पानी, शौचालय व आश्रय जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल थीं।

राज्य सरकार ने सितम्बर 2011 के बाद से निरीक्षण लक्ष्यों को संशोधित नहीं किया, जो उपलब्ध जनशक्ति के संदर्भ में चल रही सन्निर्माण गतिविधियों के विश्लेषण में कमी को दर्शाता है। वर्ष 2017-22 के दौरान निरीक्षणों में 62 से 76 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय कमी देखी गई। श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों ने विगत निरीक्षणों में पाई गई सुरक्षा कमियों के अनुपालन की निगरानी के लिए निरीक्षण टिप्पणी या पंजिका अनुरक्षित नहीं की। निरीक्षण तंत्र में निर्माण स्थलों के आकार के अनुसार जोखिम-आधारित आकलन का अभाव था तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित बड़ी निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रशासनिक अनियमितताओं में बोर्ड की बैठकों के आयोजन में 77 प्रतिशत की कमी, राज्य सलाहकार समिति के गठन में विलम्ब एवं उसकी कोई बैठकें आयोजित न होना शामिल है। लेखापरीक्षा हेतु वार्षिक लेखे 19 माह के बाद प्रस्तुत किए गए, वार्षिक रिपोर्ट 33 माह के विलम्ब से अनुमोदित की गई तथा राज्य सरकार को 31 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई। वार्षिक बजट को अनुमोदित करने में तीन से 15 माह का विलम्ब हुआ।

35 प्रतिशत कार्मिकों की कमी देखी गई। प्रमुख पदों पर अतिरिक्त प्रभार के तहत कार्य किया जा रहा था तथा 75 प्रतिशत पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने के कारण कल्याण अधिनियमों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई।

वित्तीय रूप से निधि में ₹ 703.15 करोड़ संचित हुए, वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक व्यय की पांच प्रतिशत सीमा का दो बार उल्लंघन हुआ तथा ₹ 15.89 करोड़ का व्यय अनियमित रूप से दान, सन्निर्माण व विज्ञापन पर किया गया। आयकर अधिनियम के तहत गलत पंजीकरण के कारण बोर्ड पर ₹ 191.01 करोड़ की आयकर देयता उत्पन्न हुई।

कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में नियमों में असंगति, लाभार्थियों का समावेशन न करना, सामग्री का वितरण न होना एवं अनुचित भुगतान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अस्वीकृत दावों के सुधार के लिए श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों की निष्क्रियता तथा कल्याण लाभों के वितरण में भी विलम्ब देखा गया। बोर्ड ने लाभों की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए कोई प्रभावी प्रणाली स्थापित नहीं की।

आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र लगभग न के बराबर था, क्योंकि बोर्ड और श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक ने नियंत्रण पंजिकाओं या अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया। 243 कर्मकारों के सर्वेक्षण में केवल सात (तीन प्रतिशत) ही वास्तव में सन्निर्माण कार्य में संलिप्त पाए गए, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि कल्याण लाभ वास्तव में लक्ष्यित सन्निर्माण कर्मकारों को मिल रहे थे या नहीं। अपंजीकृत कर्मकार कल्याण लाभों से अनभिज्ञ थे, जो बोर्ड के अप्रभावी प्रचार-प्रसार को परिलक्षित करता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

खाद्य सामग्री की खरीद, भंडारण एवं वितरण में गुणवत्ता प्रबंधन पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने विभाग एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (निगम) को क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सहायता से विभिन्न स्तरों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न खाद्य सामग्रियों को खरीदने एवं वितरण करने के साथ ही उसकी निगरानी व गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 के अनुरूप निरीक्षण लक्ष्यों को संशोधित नहीं किया, अतः लक्ष्यों का कम निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य भी पूर्ण नहीं हुए। खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूनों के संग्रह में कमी देखी गई। परीक्षण रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाइयों तक पहुंचाने में विलम्ब के कारण राज्य में अवमानक खाद्य सामग्रियां वितरित कर दी गई। विभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन व आधुनिकीकरण में उदासीन दृष्टिकोण के कारण आवंटित बजट की अवधि समाप्त हो गई, प्रयोगशाला को मान्यता नहीं मिल सकी और उसका उन्नयन भी नहीं हो पाया। अतः प्रयोज्य अधिनियम/आदेश के तहत अपेक्षित संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की विभागीय कार्रवाई लेखापरीक्षा में अपर्याप्त पाई गई।

विभाग सभी स्तरों पर यथोचित निगरानी व पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने में असमर्थ पाया गया। प्रत्येक ब्लॉक व उचित मूल्य की दुकान स्तर पर गठित करने हेतु अपेक्षित सतर्कता समितियां कई ब्लॉकों एवं उचित मूल्य की दुकानों में गठित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सतर्कता समितियों की निर्धारित सीमा में आवधिक बैठकें न होने के कारण राज्य में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता व जवाबदेही प्रभावित हुई। विभाग उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों के लिए आवंटित बजट का उपयोग करने में भी पिछड़ रहा था, जिससे लाभार्थियों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया में भागीदारी की क्षमता सीमित रह गई।

थोक गोदामों के भौतिक सत्यापन के दौरान गुणवत्ता संबंधी कई कमियां पाई गईं। लाभार्थियों ने भी लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता औसत से कम होने की सूचना दी। इसके अतिरिक्त अधिकांश लाभार्थियों को विभाग के टोल-फ्री नंबर की जानकारी नहीं थी एवं वे शिकायत निवारण तंत्र से भी अनभिज्ञ थे। अतः लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि विभाग द्वारा अपनाई गई निगरानी प्रणाली व उपभोक्ता जागरूकता के उपाय अपर्याप्त थे एवं इनमें सुधार की गुंजाइश है।

लेखापरीक्षा में किए गए खाद्य वस्तुओं के स्वतंत्र गुणात्मक विश्लेषण से उजागर हुआ कि फोर्टिफाइड चावल व फोर्टिफाइड गेहूं के आटे का कोई भी नमूना सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त फोर्टिफाइड नमक के कुछ नमूने भी सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं थे।

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की कौशल विकास में भूमिका पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

कौशल और ज्ञान किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य/विभागीय स्तर की दो निगरानी समितियों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम में प्रभावी कार्य-योजना का अभाव था क्योंकि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास योजनाओं को एक छत्र के नीचे लाने के प्रयास प्रभावी नहीं रहे। कृषि और बागवानी क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं थे। वर्ष 2017-22 के दौरान प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का पैनल बनने में विलम्ब, प्रशिक्षण आरंभ करने में विलम्ब, सिविल कार्यों की धीमी प्रगति आदि के कारण निधियों का उपयोग कम हुआ। प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं से निष्पादन प्रतिभूति नहीं ली गई। प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण पर वस्तु व सेवा कर अदायगी हेतु वस्तु व सेवा कर परिषद से छूट प्राप्त नहीं की गई। महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को वेतनयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने में कमी पाई गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिशा-निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों जैसे बायोमेट्रिक उपस्थिति, अभ्यर्थियों का

बीमा, कौशल मेलों का आयोजन, कैप्टिव प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षण आदि से संबंधित अभिलेखों का या तो अनुरक्षण नहीं किया गया अथवा इन प्रावधानों का निगरानी, निरीक्षण द्वारा अनुपालन नहीं किया गया और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी प्रभावी नहीं था। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नियुक्त कंसल्टेंसी फर्मों का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं था। सर्वेक्षित अभ्यर्थियों ने उनके प्रमाणन के पश्चात् प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन न करने तथा प्लेसमेंट उपलब्ध न कराने पर असंतोष व्यक्त किया।

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

हिमालयन सर्किट के एकीकृत विकास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार दे कर, पर्यटन गतिविधि द्वारा आय बढ़ाने के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने से संबंधित उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

योजना के तहत सर्किट को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रवेश/अंतिम बिंदु चिह्नित किए बिना परियोजनाएं अलग-अलग स्थानों पर चिह्नित एवं प्रस्तावित की गई। अतएव प्रस्तावित पर्यटक सर्किट पर्यटकों को सर्किट के अधिकांश या अगले गंतव्यों पर जाने के लिए प्रेरित करने में असमर्थ रहा।

स्वतंत्र घटकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना परामर्शदाता नियुक्त किए गए। संपूर्ण सर्किट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं अंतिम रूप देने में काफी समय लगा। परामर्शदाताओं ने निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र घटकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की।

भूमि की अनुपलब्धता एवं विभिन्न विभागों/एजेंसियों से आवश्यक स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण दो घटकों को बीच में ही छोड़ना पड़ा तथा अन्य घटक लंबे समय तक अपूर्ण रहे, जो निष्फल/व्यर्थ व्यय में परिणत हुए।

सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया गया। घटकों के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब के बावजूद दो मामलों में परिनिर्धारित क्षति अधिरोपित नहीं की गई।

स्वदेश दर्शन योजना घटक क्यारीघाट स्थित कन्वेंशन सेंटर में सोलन जिले के एकीकृत विकास योजना की निधियों का अपयोजन पाया गया जो स्वदेश दर्शन योजना दिशानिर्देशों के विरुद्ध था।

विभाग ने एक पूर्ण घटक का संचालन एवं रखरखाव संबंधित एजेंसी के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए बिना हस्तांतरित कर दिया जबकि एक अन्य पूर्ण घटक का संचालन एवं रखरखाव एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि स्वीकृत घटकों के कुछ उप-घटक या तो निर्मित नहीं किए गए या अनुमोदन के अनुरूप निर्मित नहीं किए गए, जिससे व्यय निष्फल हो गया।

सफल निविदाकार से ₹ 1.57 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई, जो ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के रूप में परिणत हुआ।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

कृषि विभाग

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत ट्रैक्टर खरीद पर किसानों को सब्सिडी का अधिक भुगतान

केंद्र प्रायोजित योजना 'कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन' के तहत सहायता के पैटर्न का पालन न करने के कारण नमूना-जांचित जिलों में 1,005 लाभार्थियों को ₹ 4.61 करोड़ की वित्तीय सहायता का अधिक भुगतान किया गया।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

पुल निर्माण पर निष्फल एवं परिहार्य व्यय

गलत डिजाइन के साथ जिला कुल्लू में भूतनाथ पुल के निर्माण सहित चूककर्ताओं/ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई न करने एवं जांच की कमी तथा क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्वास कार्य के निष्पादन के प्रति विभाग की उदासीन प्रवृत्ति के कारण ₹ 10.60 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त पुल (₹ 2.15 करोड़) के पुनर्वास व सुदृढ़ीकरण और वैकल्पिक बहु-स्पैन बेली पुल (₹ दो करोड़) के निर्माण पर ₹ 4.15 करोड़ का परिहार्य व्यय भी हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को राहत प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो गया।

ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ/पक्ष लेने एवं सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय

कार्य को निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से निष्पादित करने में विभाग की विफलता ठेकेदार को ₹ 1.69 करोड़ के अनुचित वित्तीय लाभ/पक्ष लेने में परिणत हुई, साथ ही कार्य समय पर पूर्ण न होने के कारण ₹ 4.86 करोड़ का व्यय भी निष्फल हो गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड

ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्फल व्यय

निर्माण (i) समतुल्य वोल्टेज सब-स्टेशन के प्रावधान के बिना 400 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, तथा (ii) आवश्यक बे के बिना दो 33 केवी लाइन हेतु खराब/त्रुटिपूर्ण योजना, ₹ 76.26 करोड़ के निष्फल व्यय में परिणत हुई। साथ ही इसके परिणामस्वरूप इन कार्यों के संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं हो सकी।